

न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2016 फोरलेन

उनवान

- | | | |
|---|------|--|
| 1. श्रीमती रतन देवी पुत्री लक्ष्मीलाल ब्राह्मण | बनाम | 1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) |
| 2. श्री भैरुसिंह पिता रणजीत सिंह ब्राह्मण | | एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ |
| 3. श्रीमती चेतना पुत्री रणजीत सिंह ब्राह्मण | | 2. परियोजना निदेशक (एन.एच.ए.आई.) |
| 4. श्रीमती सीतादेवी पत्नि शोभागचन्द ब्राह्मण | | 6-ए-1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा |
| 5. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि स्व० किशनलाल ब्राह्मण | | |
| 6. श्रीमती स्वाती देवी पत्नि मुकेश शर्मा | | |

निवासीयान होडा त० माण्डलगढ

—प्रार्थीगण

—विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 जी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्ध अर्वाड संख्या एन.एच. 758 प्रतिकर निर्धारण/2015/157 (भीलवाड़ा लाडपुरा सेक्शन) दिनांक 04.11.2015

उपस्थित:-

श्री आर०सी०सारस्वत, अधि० प्रार्थीगण की ओर से
श्री गणेशलाल जोशी, अधि० विपक्षी संख्या 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 07/06/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ (सक्षम अधिकारी) प्रकरण संख्या 2015/157 निर्णय दिनांक 04.11.2015 द्वारा दिलाये गये क्षतिपूर्ति की राशि में बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने बाबत दिनांक 02.08.2016 को निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम होडा तहसील माण्डलगढ की खसरा संख्या 139 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि स्थित है। भूमि को अवाप्त किये जाने की कार्यवाही केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा 01 के अधीन एक अधिसूचना दिनांक 04.03.2015 को जारी किये जाना बताकर अधिनियम की धारा 03 डी(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2015 के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाया गया। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का भारतीय राष्ट्रमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा खण्ड के लिये अवाप्त किया गया। इस बाबत प्रार्थीगण को कभी व्यक्तिगत तौर पर सूचना पत्र तामील नहीं करवाया गया। इस कारण प्रार्थीगण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने से महरुम रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि को अधिनियम की धारा 3-जी(1-2) के तहत अर्वाड संख्या 157/2015 दिनांक 04.11.2015 को जारी कर अवाप्त की गई भूमि आ०नं० 139 रकबा 0.28 हैक्टर का प्रतिकर 7,70,000/- रुपये तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 77,000/- रुपये कुल




जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

8.47.000/- रुपये निर्धारित किया गया। सक्षम अधिकारी के द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जो डी.एल.सी. दरें थी उसके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है जबकि अधिनियम की धारा 03(ए) की उपधारा 01 के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से किये जाने की व्यवस्था है जो डी.एल.सी. दर से कई गुणा अधिक है। तत्समय बाजार मूल्य न्यूनतम 20,00,000/- रुपये प्रतिबीघा थी इस स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही एवं प्रार्थीगण की भूमि नगर पालिका क्षेत्र के समीप होकर अच्छी व औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना जारी अर्वाड निरस्त योग्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान भूमि को अवाप्त किये जाने के लिये मुआवजा निर्धारण के लिये लागू ही नहीं रहे थे। तत्समय " भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो चुके थे एवं समस्त अवाप्ति प्रकरणों के मुआवजा निर्धारण बाबत इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण कर अर्वाड जारी किया जाना चाहिये था। इस अधिनियम 2013 के तहत तत्समय के बाजार मूल्य से चार गुणा दर अर्थात् 80,00,000/- रुपये प्रतिबीघा की दर से मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य सभी परिलाभ जो अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है उसी अनुपात में अर्वाड जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.09.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी,माण्डलगढ से क्षतिपूर्ति राशि हेतु पारित अर्वाड संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता का अधिकार पत्र प्रस्तुत होकर जवाब का अवसर चाहा गया।

विपक्षी की ओर से दिनांक 18.10.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि प्रार्थीगण की ग्राम होडा में आ0नं0 139 संयुक्त खातेदारी की थी जिसे केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अवाप्त किए जाने से भूमि उक्त सभी खातेदारी अधिकारों में मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हुई। वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 के तथ्य गलत होकर स्वीकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा 01 के अधीन दिनांक 04.03.2015 को विधिवत रूप से अधिसूचना गजट में जारी की जिसका प्रकाशन दिनांक 25.03.2015 को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में कराया गया तथा सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(डी)(1) के अन्तर्गत सभी से आपत्तियां मांगी गई। तहसीलदार माण्डलगढ एवं हल्का परिवारी के द्वारा बैठकें आयोजित कर सभी सम्बन्धित ग्रामों में सार्वजनिक प्रचार-प्रसार जिसमें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। उक्त अधिनियम में व्यक्तिगत तौर पर सूचना/नोटिस भेजकर सुनवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 3(सी) में आपत्तियां आमंत्रित बाबत निम्न प्रावधान है-

"3सी Hearing of objections-(i)Any person interested in the landmay,within tewnty one days from the date of publication of the notification under sub-




जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

section(1) of section 3A,object to the use of the land for the purpose or purposes mentioned in that sub-section.

(ii)Every objection under sub-section(1)shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard,either in person or by a legal practitioner, and may,after hearing all such objection and after making such further enquiry if any,as the competent authority thinks,necessary,by order, either allow or disallow the objections."

सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 04.03.2015 की डीएलसी दर से मुआवजा निर्धारित किया है वह सही है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(ए) (1) के तहत बाजार दर से मुआवजा देने की व्यवस्था है। बाजार दर के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 में वर्णित मानदण्डों की कोई अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी का यह कथन कि अवाप्तशुदा भूमि नगरपालिका के समीप व अच्छी, औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग की भूमि है सरासर गलत है। तहसीलदार माण्डलगढ से अवाप्ताधीन भूमि से सम्बन्धित रेकार्ड व मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही अवार्ड पारित किया है जो उचित व विधि अनुसार है। वादपत्र की चरण संख्या 6 से लगायत 8 स्वीकार नहीं है। श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पोषणीय नहीं है यह अवधि पार होकर 8 माह विलम्ब से पेश किया । अतः प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार नहीं है जवाबदाता का जवाब पत्रावली पर लिया जाकर प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

परिवाद के साथ सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ से जारी अवार्ड क्रमांक/भूमि अवाप्ति/एन.एच.758/प्रतिकरनिर्धा./2015/157 दिनांक 04.11.2015 की नकल प्रस्तुत की। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ग्राम होडा के खाता संख्या नवीन 297 में अंकित आराजी नम्बर 139 रकबा 6.02 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय अन्य आ0नं0 107, 108 के साथ दर्ज है जिसमें रतनदेवी पुत्री लक्ष्मीलाल 1/2 भैरुसिंह, चतना पिता रणजीतसिंह 1/4 ब्राह्मण सीतादेवी पत्नि शोभागचन्द, मन्जूदेवी पत्नि स्व0 किशनलाल , स्वातीदेवी पुत्री मुकेश 1/4 शर्मा सा0देह खातेदार रहन हिस्सा भैरुसिंह बैंक ऑफ बड़ौदा माण्डलगढ दर्ज है। संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से लाडपुरा से भीलवाड़ा हेतु निर्मित सड़क को लालस्याही से आ0नं0 139 में दर्शाया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)माण्डलगढ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2015 को अवार्ड जारी किया परन्तु दिनांक 01.01.2015 से भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू कर दिए जाने से उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण को भुगतान किए गए मुआवजे के अवार्ड को संशोधित फरमावे । वकील प्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015




जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

से लागू किया जाना सही है। शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में जवाब में विवेचन किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बिन्दुओं तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य सुस्पष्ट होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा निर्माण के लिए अवाप्ताधीन भूमियों के सम्बन्ध में धारा 3ए (1) के अधीन अधिसूचना दिनांक 04.03.2015 को व धारा 3डी(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 25.03.2015 को दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति व भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर अवाप्ति की कार्यवाही की गई। उक्त अधिनियम में व्यक्तिगत सुनवाई के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) माण्डलगढ के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में समस्त सहखातेदारों के नाम पर एक सूचना पत्र क्रमांक 1790-1889 दिनांक 29.09.2015 को जारी किया जो सहखातेदार श्री भैरूसिंह को तामील हुआ। उक्त नोटिस के द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं फोटो की प्रतियां दिनांक 07.10.2015 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को मुआवजा निर्धारण सम्बन्धी तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार की सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जबकि धारा 3-ए एवं 3-डी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक से 21 दिन की अवधि में आपत्ति प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन कि हमें सुना नहीं गया जो पूर्णतया निराधार होकर असत्य है। प्रार्थीगण के पक्ष में अवार्ड संख्या भूमि अवाप्ति/एन.एच. 758/प्रतिकर निर्धा./2015/157 दिनांक 04.11.2015 को जारी किया गया था।

प्रार्थीगण का द्वितीय कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान दिनांक 04.03.2015 की प्रचलित डीएलसी के आधार पर किया गया जो गलत है क्योंकि तत्समय भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 30) को दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील किया गया है। जिसकी धारा 30(1)(2) एवं (3) तथा धारा 26के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। तत्समय भूमि की बाजार दर 20,00,000/-रुपये प्रति बीघा थी। अवाप्ताधीन भूमि नगरपालिका सीमा के समीप होकर अच्छी व औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग की होने के बावजूद उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही अवार्ड जारी किया जो खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण/परिवादी के द्वारा भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30(1)(2) एवं (3) तथा धारा 26के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण कराने का अनुतोष चाहा गया है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/परिवादीगण के द्वारा अवाप्ताधीन भूमियों के सम्बन्ध में भूमि के औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग की होने के सम्बन्ध में कोई संपरिवर्तन आदेश की प्रति एवं बाजार मूल्य के सम्बन्ध में इसी किस्म की अन्य भूमियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रार्थीगण का उक्त तथ्य निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम होडा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में




जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

आ0नं0 139 रकबा6-02 बीघा किस्म बाराणी तृतीय अन्य आ0नं0 107, 108 के साथ दर्ज है जिसमें रतनदेवी पुत्री लक्ष्मीलाल 1/2 भैरूसिंह, चतना पिता रणजीतसिंह 1/4 ब्राह्मण सीतादेवी पत्नि शोभागचन्द्र, मन्जूदेवी पत्नि स्व0 किशनलाल, स्वातीदेवी पुत्री मुकेश 1/4 शर्मा सा0देह खातेदार रहन हिस्सा भैरूसिंह बैंक ऑफ बड़ौदा माण्डलगढ दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवाप्ताधीन भूमि कृषि भूमि थी न कि अकृषि योग्य भूमि। ग्राम होडा की अवाप्ताधीन आ0नं0 139 में से 0.28 हैक्टर के सम्पूर्ण मुआवजा की कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 धारा 3ए (1) एवं धारा 3डी(1) व धारा 26(ख) के प्रावधानों के तहत ही प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। जहां तक भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम होडा की आराजी नम्बर 139 रकबा 6-02 बीघा में से 0.28 हैक्टर भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाड़ा से लाडपुरा निर्माण के लिए अवाप्त करते हुए सक्षम अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) माण्डलगढ के द्वारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 04.03.2015 को जारी होने से इस दिवस को विधि मान्य अनुमोदित एवं पंजीयन बाजार दर से प्रतिकर की गणना की जाकर पत्रांक भूमि अवाप्ति/एन.एच.758/प्रतिकर निर्धा./2015/157 दिनांक 04.11.2015 को 8,47,000/- रुपये की राशि का अवाई जारी किया भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(2013 का अधिनियम संख्याक 30) के नवीन नियमों के तहत प्रतिकर में संशोधन का बिन्दु है। इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम 1 जनवरी, 2014 को प्रभावी हो चुका था परन्तु उक्त अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर लागू नहीं किया गया था लेकिन अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूची के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अलावा अन्य 13 एक्टों को रखा गया एवं अधिनियम 2013 की धारा 105(3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2014 से उक्त अधिनियम में संशोधन कर मुआवजा निर्धारण करने के लिये दिनांक 1 जनवरी, 2015 से लागू कर दिया।

प्रश्नगत प्रकरण में अवाप्ताधीन भूमि का अवाई दिनांक 04.11.2015 को जारी किया। इस बिन्दु पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अन्तिम विनिश्चय किया जाना है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(3)राज-6/2011/7 जयपुर दिनांक 11.03.2014 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अधिनियम 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत 31.12.2014 से पूर्व अवाई जारी हो चुका तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उक्त अधिनियम में दिनांक 31.12.2014 से संशोधन किए जाने से उक्त दिनांक से पूर्व अवाई जारी किया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नवीन अधिनियम 2013 के तहत नहीं होगी परन्तु अधिनियम 2013 के प्रभावी होने अर्थात् 01.01.2015 के पश्चात यदि अवाई भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी किए गए है तो ऐसे प्रकरणों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अवाई संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। अवाई के प्रतिकर की गणना के




जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

सम्बन्ध में भी राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(3)राज-6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016के अनुसार गणना हेतु स्थिति स्पष्ट की गई है। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के द्वारा अवाई संख्या 157 दिनांक 04.11.2015 को जारी किया है जो संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रभावी दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जारी होना सिद्ध होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहे हैं। अतएव-

आदेश

प्रार्थीगण/परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश भूमि अवाप्ति/प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी) माण्डलगढ बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाडा-लाडपुरा सेक्शन) प्रकरण संख्या 157/2015 प्रतिकर अवाई निर्णय दिनांक 04/11/2015 के क्रम में स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश व अवाई निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ सक्षम अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण/परिवादीगण के खाते की भूमि वाके ग्राम होडा, तहसील माण्डलगढ में स्थित खसरा नम्बर 139 रकबा 0.2800 हैक्टर किस्म बरानी तृतीय का भूमि अर्जन पुर्नवासन ओर पुनर्व्यवस्थापन ओर उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में दिए आदेशानुसार प्रतिकर का निर्धारण कर संशोधित अवाई जारी करते हुए भुगतान कराने की सुनिश्चितता करावे। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को पालना हेतु लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07/06/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलेक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाडा